

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना

तीर्थयात्रियों के लिए दिशा निर्देश एवं आवश्यक अपेक्षाएं

सामान्य निर्देश -

1. तीर्थ यात्रा राजस्थान के किसी एक या एक से अधिक निर्धारित जिले के मुख्यालय से प्रारंभ की जायेगी। इसकी सूचना एस एम एस तथा विभाग के पोर्टल (वेबसाइट) के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन में दर्ज मोबाइल नं पर उन्हें फोन काल से भी सूचित किया जाएगा। इसमें केवल यात्रा हेतु चयनित मुख्य सूची तथा उनके अनुपलब्ध रहने पर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बुलाया जायेगा। प्रत्येक यात्रा में कुछ चयनित आवेदकों को आरक्षित रूप में बुलाया जा सकेगा, जो मौके पर सीट खाली रहने पर भजे जा सकेंगे।
2. तीर्थयात्रियों को यात्रा प्रारंभ होने वाले संभाग मुख्यालय के रेलवे स्टेशन/एयर पोर्ट तक एवं वापसी में रेलवे स्टेशन/एयर पोर्ट से अपने निवास स्थान तक स्वयं के खर्चे से पहुंचना होगा।
3. एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोड़ना चाहेगा, तो उसे इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जायेगी।
4. यात्री अपने निर्धारित अनुरक्षक के संपर्क में रहें एवं उनके निर्देशों का पालन करेंगे।
5. सभी यात्री पूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा कार्ड अपने साथ रखें, मांगने पर अनुरक्षक को दिखाएं। खो जाने पर अनुरक्षक को सूचित करें।
6. यात्री यात्रा के दौरान विभाग द्वारा प्रदत्त अपना टूर वाउचर (यात्रा टिकट) सुरक्षित रखेगा, उचित होगा कि यात्री अपनी ट्रेन/हवाई जहाज/बस/कोच आदि का नम्बर भी लिख कर सुरक्षित कर लें ताकि आवश्यकता पडने पर उसे खोजने में सुविधा हो।
7. यात्री रेलगाड़ी/हवाई जहाज में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा प्रसारित संदेशों को ध्यान से सुनें एवं उनका पालन करें।
8. समस्त यात्री आवश्यकतानुसार अपने सहयात्रियों का फोन नम्बर सुनिश्चित कर लें। यात्रा के प्रभारी/अनुरक्षक इस हेतु आवश्यक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकेंगे।
9. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।
10. ट्रेन/हवाई जहाज यात्रा में यथानुरूप रेल एवं विमान संबंधी नियमों की पालना बाध्यकारी होगी, अतः यात्री आई.आर.सी.टी.सी./एजेन्सी द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना करें।
11. यात्रा के दौरान स्पेशल ट्रेन/हवाई जहाज एवं तीर्थ स्थल पर धूम्रपान एवं मद्यपान वर्जित रहेगा।
12. तीर्थयात्री तीर्थ की मर्यादा अनुसार आचरण करेंगे एवं तीर्थ दर्शन/ पूजन के समय मर्यादा एवं अनुशासन बनाये रखेंगे, ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हो।
13. यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें एवं रेलवे स्टेशनों/एयरपोर्ट पर ट्रेन/हवाई जहाज में बैठने व उतरने में सावधानी बरतें।

14. रेलगाड़ी/हवाई जहाज से दर्शन पर जाने से पूर्व अपने सामान को लॉक करें तथा आई.आर.सी.टी.सी./हवाई एजेन्सीज के तैनात गार्ड को बताकर जायें।
15. प्लेटफार्म/एयरपोर्ट पर जाने के लिये पैदल पुल एवं अन्य निर्देशों का पालन करें।
16. ट्रेनयात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन में बेवजह चैन पुलिंग नहीं करें तथा यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन के रुकने पर इधर-उधर नहीं उतरें।
17. तीर्थयात्रा के दौरान एजेन्सीज के माध्यम से निर्धारित समय एवं स्थल पर चाय , नाश्ता, भोजन इत्यादि की निः शुल्क व्यवस्था की गई है , जिसके अन्तर्गत सुबह- चाय , काफी, नाश्ता दोपहर का भोजन , शाम की चाय एवं रात्रि भोजन आदि सम्मिलित हैं। पीने हेतु आर.ओ. का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को उक्त भोजन सुविधा रेल यात्रा के दौरान भी दी जाएगी। हवाई यात्रा में यह सुविधा केवल निर्धारित विश्राम स्थल पर की जाती है।
18. यात्री को यात्रा अवधि में निर्धारित नियम के साथ-साथ समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्हें तैयार होने हेतु जो भी समय दिया जाए, उससे पूर्व में तैयार होना सुनिश्चित करें।
19. यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित देय सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है , तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा। तीर्थयात्रा के दौरान खरीददारी के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें।
20. अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ को सूचित करें। किसी आपात स्थिति में प्रभारी, अनुरक्षक व देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित कंट्रोल रूम में सूचित करें।
21. यात्री विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे एवं दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
22. समस्त यात्रियों/अनुरक्षकों के रुकने की व्यवस्था सामान्यतः वातानुकूलित नहीं होगी और प्रत्येक को पृथक कक्ष देने के बजाय हाल/डोरमेट्री में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अतः इस संबंध में अतिरिक्त सुविधा की मांग न करें।
23. यात्रा के अंत में अपना फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें तथा उसे वेंडर या प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराएँ।

नोट:- व्यवस्था अच्छी हो तो ✓ एवं व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो X लगायें.

| क्र०सं० | यात्री का नाम/उम्र/श्रेणी | आवेदन सं० | यात्रियों का फीडबैक | | | हस्ताक्षर यात्री |
|---------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | नाश्ता एवं भोजन पानी | आवास व्यवस्था | बस व्यवस्था | |
| | | | | | | |

यात्रा में ले जाने हेतु सामग्री संबंधी निर्देश -

23. यात्रा के संबंध में निम्न दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें -

- आधार/ पहचान पत्र,
- भामाशाह कार्ड,
- पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो
- कोई अन्य अतिरिक्त पहचान पत्र, जिसे यात्री आधार/भामाशाह पहचान पत्र के अतिरिक्त ले जाना चाहे।
- आवेदन की प्रति या आवेदन क्रमांक

24. रेल/एयर पोर्ट पर बोर्डिंग करते समय यात्री अपने मूल दस्तावेज साथ रखें। उचित होगा कि समस्त दस्तावेजों को तीर्थयात्री किसी अलग फोल्डर या बैग में इस प्रकार रखे कि वह आसानी से मिल सके। तीर्थयात्री आवश्यकतानुसार इनकी अतिरिक्त रूप में फोटो कॉपी भी रख सकता है।

25. तीर्थयात्री अपने साथ मोबाइल फोन अवश्य रखें। उचित होगा कि वे अपने साथ स्मार्टफोन रखें , ताकि वे आवश्यकता पडने पर इंटरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुड़े रह सकें। इस संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा आवश्यक एप भी प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

26. यात्री अपने साथ दैनिक उपभोग एवं आवश्यकता की सामग्री यथा यात्रा अवधि के लिए आवश्यक कपडे, यात्रा स्थान के अनुरूप गर्म या ठण्डे कपडे, स्नान आदि का सामान, बाथरूम स्लीपर/हवाई चप्पल, यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस बाबत निर्धारित दवाइयां, आदि स्वयं साथ रखें। गीले कपडों के लिए यथा -आवश्यक पोलीथीन बैग रखना वांछनीय होगा। यह ध्यान रखें कि यात्रा की सामग्री बहुत अधिक अथवा भारी न हो , ताकि उन्हें लेकर जाने आने में असुविधा का सामना न करना पड़े।

27. हवाई यात्रा के दौरान अपने सामान को दो बैग में रखना उचित होगा जिसमें एक बैग छोटा होगा और हैण्ड बैग के रूप में अपने साथ रखा जा सकेगा , अन्य बड़ा बैग अलग से सील बन्द/टैग होकर सामग्री केबिन में रखा जाएगा। यहां यह ध्यान रखें कि हवाई नियमों के अनुसार एक व्यक्ति हैंड बैग के रूप में अधिकतम 7 किलोग्राम तथा अन्य लगेज के रूप में अधिकतम 15 किलोग्राम भार का ही सामान अपने साथ ले जा सकता है। इस संबंध में हवाई नियमों का भी अवलोकन उचित होगा।

28. अपने बैग पर समुचित पहचान हेतु बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख लेना लाभदायक रहेगा। उसमें समुचित लॉक लगाने की जिम्मेदारी तीर्थयात्री की होगी।

29. तीर्थयात्रा के दौरान आवश्यक बिस्तर-चादर , कम्बल आदि की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा हेतु अनुमत एजेंसी के द्वारा विश्राम स्थल पर उपलब्ध कराई जाती है। रेलयात्रा में यात्रा के दौरान भी बिस्तर-चादर , कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

30. तीर्थयात्रा के दौरान निर्धारित समय पर भोजन/ नाश्ता आदि की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा हेतु अनुमत एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है , किन्तु यदि तीर्थयात्री अपने साथ कुछ भोजन सामग्री ले जाना चाहता है , तो वह अनुमत रहेगा। यह ध्यान रखें कि इसमें कोई तरल पदार्थ न रहे।

31. यात्री किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ अथवा मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे। हवाई यात्री अपने साथ केबिन लगेज में चाकू, कैंची एवं अन्य धारदार वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे।

32. यात्री अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु तथा आभूषण आदि भी नहीं ले जा सकेंगे। अपने साथ ले जाई जाने वाली धनराशि, क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड की समुचित सुरक्षा का ध्यान रखना यात्री का दायित्व होगा।